Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-3 | Issue- 9 | March-2014 Available online at www.aygrt.isrj.net

राष्ट्रीय एकात्मता और भाषावाद

गिरि डी.व्ही.

सहाय्यक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग स्वामी विवेकानंद वरिष्ठ महाविद्यालय, मंठा ता.मंठा जि.जालना

सारांश - भारत की अखण्डता के समक्ष अनेक ज्वलन्त प्रश्न है, जैसे- भौगोलिक परिवेश, साम्प्रदायिकता, तथा विविध भाषाएँ । भारत वर्ष में प्रत्येक बीस किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। भारत में विविध बोलीयाँ का आधिपत्य है। भारत जैसे देश में प्राकृतिक,भोगौलीक स्थितीयों के अनुसार बोली में अन्तर आ जाना स्वाभाविक है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत - संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तेलगु, मल्यालम, तमिल, कन्नड, असमिया, उडीया, बंगाली,उर्दु, पंजाबी तथा सिन्धी को भारतीय भाषाओं का मान्य दर्जा दिया गया है।

प्रस्तावना-

भारत की उपरोक्त संवैधनिक भाषाओं के अतिरिक्त एक ऐसी भाषा को स्थान दे दिया गया, जो इस देश की नही है और जिसे दो प्रतिशत से अधिक नही बोलते हैं। इस अंग्रेजी भाषाने भारतीय सभ्यता, संस्कृती, भावात्मक एकता तथा जन अभिरूचियाँ को जड़ से उखाड फेंकने का दुस्साहस किया। आजादी के इतने वर्षो के बाद भी अंग्रेजी को संवैधानिक भाषा बनाये रखना हमारी दास्यता की प्रवृती का उदाहरण है। इस दृष्टिसे अपने देश की किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप मे स्वीकारना अनिवार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क और ज्ञान विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा को मान्यता देना पृथ्क बात है, किन्तु कुछ स्वार्थी इसे भारत की भाषा बनाये रखना चाहते है, यह दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना है ।

भारत मे अनेक भाषाएँ समृध्द है। प्रत्येक प्रान्त मे पृथ्क पृथक् प्रादेशिक भाषा व्यवहार मे लाई जाती है। प्रत्येक प्रान्त ने अपनी भाषा को प्रोत्साहन दिया है तथा राज काज मे व्यावहारिक रूप प्रदान किया है, किन्तु देश के एक प्रान्त से दुसरे प्रान्त तक व्यवहार मे प्रयुक्त की जानेवाली भारतीय भाषा हिन्दी ही है। इसी के माध्यम से सम्पर्क जोडा जा सकता है। सन १९०५ मे बाल गंगाधर तिलक ने हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के रुप मे प्रतिष्ठित करने का अनुरोध किया था। महात्मा गांधीने सन १९१७ में राष्ट्रभाषा के रुप मे हिन्दी को स्वीकार किये जाने हेतु आधार बतलाये थे - ' हिन्दी भारत वर्ष के बहुसंख्यक समाज की भाषा है। उसमे देश की धार्मिक, सामाजिक , सांस्कृतिक, राजनितिक तथा प्रशासनिक गतिविधियो का माध्यम बनने की क्षमता है। हिन्दी ऐसी भाषा है, जिसे सरलता से, सहज रुप से हर कोई सीख सकता है।' इन विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए पं. जवाहरलाल नेहरु ने राष्ट्रभाषा के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा - 'एक राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास हेतु उस राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है।' राष्ट्रीय चिन्तन के बाद १४ सितम्बर, १९४८ को हिन्दी संघ की राजभाषा बनी। संविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) मे यह व्यवस्था की गई है की हिन्दी संघ की राजभाषा होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी।

सम्पुर्ण राष्ट्र की भाषा हिंदी बनाये जाने का मसला राजनिती के पाश मे फँस गया। १९६५ तक राष्ट्रभाषा के प्रश्न को उलझा कर छोड दिया गया। १९७६ मे तमिलनाडू को छोडकर राजभाषा का नियम सर्वत्र लागू कर दिया गया । अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों ने राष्ट्रभाषा के सवाल को उलझाकर नही रखा किन्तु हमारे देश में राष्ट्रभाषा का प्रश्न समस्या बनकर रह गया, जिसका स्थायी समाधान आज तक भी नही हो पाया । आज भी हिन्दी के विरोध का नारा उछाला जा रहा है और राजनीतिक हठधर्मिता के कारण वितण्डतावाद को जन्म दिया जा रहा है ।

दक्षिण ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया । विगत बीस वर्ष की अवधि में राजनीतिक विरोध के कारण हिन्दी को बडा धक्का लगा है । तर्क दिया जाने लगा की हिन्दी के वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द प्रचलित होने पर ही उनका प्रयोग किया जाये । जब प्रयोग नही होगा तो प्रचलन कैसे होगा ? इस प्रश्न को उलझाकर छोड दिया गया है । दक्षिण की राजनीतिक हठधर्मिता के कारण हिन्दी के राष्ट्रभाषा होनेपर प्रश्न चिन्ह लगा दिये गये है। दक्षिण मे विश्वविद्यालयों से हिन्दी को हटाया जाना, हिन्दी अध्यापको को सेवामुक्त करना, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं सरकारी कार्यालयों से हिन्दी मे

लिखे नामों को हटाना, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सूचक है। दक्षिण की जनता को हिन्दी से कोई शिकायत नही है बल्कि लगाव है। अधिकांश लोग हिन्दी बोलना जानतें है, सम्पुर्ण भारत के साथ हिन्दी में व्यवहार करते है। हिन्दी चलचित्र देखना पसन्द करते हैं, हिन्दी-गीत सुनना पसन्द करते है, किन्तु राजनीति ने घृणा का रुख अपना रखा है । वोट की राजनीति ने अपने प्रान्त को हिन्दी से दूर रखने की हठधर्मिता को सर्वोपरि घोषणा बना रखा है। इसकी पृष्ठभूमी में अंग्रेजी के पक्षधरो का हाथ है। हिन्दी के सार्वदेशिक रूप का समाधान न होने से अंग्रेज कूटनीति सफल हो गई। यह समस्या इतनी बिकट हो गई कि देश को विभाजन की रेखा पर खडा कर दिया।

आज भी दक्षिणी हिन्दी के नामपर आन्दोलन खडा कर देते है तथा प्रदेश मे हिन्दी के विरोध में उपद्रवोंको जन्म देते है । समूचे प्रान्त में तोड-फोड आगजनी, लूटपाट आदि घटनाओं के कारण आतंक-सा छा जाता है। और हिन्दी का सम्मान फिर अधुरा रह जाता है । आज भी हिन्दी के बिना दक्षिणमें व्यवहार नही हो पाता है फिर भी यथार्थ स्थिति से आँखे मूंदकर कोरी भावूकता मे बहना राष्ट्र के लिए कितना हानीकर होगा, इसकी कल्पना नही की जा सकती है। भाषा के नामपर स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने देश में मन मुटाव उत्पन्न कर दिया । सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नही बन पा रहा है। राजनीति ने भावनाओं के मध्य विरोधाभास को जन्म दे दिया।

हिन्दी का साहित्य समृध्द है। हिन्दी मे कई विशेषताएँ विद्यमान है। इसकी शब्दावली सब राज्यों की भाषा से मेल खाने से सहज एवं सरलतम है। इसकी वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के सहयोग से बना रहा है। हिन्दी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है। यह लिपी अन्य भाषा लिपियों से सरलतम है । इसके साहित्य मे रामचरितमानस, सूरसागर, पदमावत, कामायनी, प्रिय प्रवास साकेत तथा लोकायतन सदृश महाकाय श्रेष्ठ कृतियों मे गिने जाते है । प्रेमचंद, यशपाल, अश्क, राघव, जैनेंद्र आदिके उपान्यासों से यह भाषा अत्यंत समृध्द हुई है। हिंदी के प्रोढ विव्दान विदेशों मे भी मिलते है। अनेक विश्व विद्यालयों मे हिन्दी विभाग कार्यरत है। हमारे जीवन में हिन्दी इसतरह घुल-मिल गई है इसे पृथक नही किया जा सकता है। इसी कारण हिन्दी सार्व देशिक राष्ट्रभाषा बनने के अधिक योग्य है। हिन्दी एक वैज्ञा- निक भाषा है । इसके व्याकरण मे संस्कृत के व्याकरण से अधिक साम्य होने के कारण इसकी एक रुपता और स्थिरता बनी हुई है।

डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद का आभिमत है की, - " हिन्दी भारत की सामान्य जनता की भाषा है, देश की एकता की सम्पुर्ण भाषा है, साधु-सन्तों की भाषा है और देश की केंद्रीय शक्ति है। ऐसी विकसित भाषा का सीमित क्षेत्र नही हो सकता । "

आज विश्व के - अमेरिका, फिजी, इटली, चीन, चेकोस्लोवाकीया, थाईलैण्ड, सिंगापूर, मलेशिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, जापान आदि देशों मे हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की समुचित व्यवस्था है। ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, मैक्सिको, मारीशस, त्रिनिनाड, बर्मा, श्रीलंका आदि सभी देशो मे हिन्दी अध्यापन कराया जा रहा है विदेशो मे हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हो रहा है । जहाँ विश्व हिन्दी भाषा की सहजता व सुगमता से सीख रहा है और इसके साहित्य को आदर्श मानता हुआ सम्मान प्रदर्शित कर रहा है वहाँ भारत मे कुछ स्वार्थी राजनीति लोलुप हिन्दी के विरोध में अभद्र प्रदर्शन कर स्वयं का अहित कर रहे है । ऐसे विराध को प्रोत्साहन देना या इससे आशंकित होना राष्ट्रीय हित मे नही है।

आज हिन्दी भाषा समृध्दी के शिखर पर है। इस भाषा के अनेक कोश प्रकाशित हो चुके है। तकनीकी पुस्तको का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है। भारतीय संविधान हिन्दी संस्करण भी प्रयोग मे आने से प्रचलित हो चुका है, साहित्य - प्रकाशन की सूची बनाना स्वयं मे एक बृहद् ग्रन्थ को प्रस्तुत करना है। अत: यह कहा जाना समीचीन होगा कि इस देश में राष्ट्रभाषा के रुप मे हिन्दी ही स्विकारने योग्य है, जो राष्ट्रीय एकात्मता को बनाये रख सकती है। अन्य भाषा नही। अब अंग्रेजी को अधिक दिन तक बलात चिपकाये रखना राष्ट्रीय हित में नही है, अन्यथा सांस्कृतिक क्षति को कोई रोक नही सकेगा। (१)

हिन्दी जनता के हृदय की भाषा रही है । विभिन्न भाषा भाषियों को एक सूत्र मे पिरोने का सफल कार्य वह करती आयी है ।

राष्ट्रभाषा चुनाव के पिछे यहाँ अनेक ऐसी प्रवृत्तियाँ काम कर रही है जिनका आपस मे तालमेल बैठना बहुत सरल न था । इस संदर्भ मे कम से कम चार धाराँए थी - १) राष्ट्रीयतावादी धारा जो संस्कृत की पक्षपाती रही है । २) अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रतावादी धारा जो अंग्रेजी का पुरजोर समर्थन करती रही है। ३) क्षेत्रीय धारा - जो राष्ट्रभाषाओ के रुप मे सभी प्रांतीय भाषा की हिमायत करती है। ४) लोकवादी जन तांत्रिक धारा - जो हिन्दी का समर्थन करती है। जहाँ तक राष्ट्रभाषा के रुप मे हिन्दी का प्रश्न है, हम आज भी वही है, जहाँ हम १९४७ में थे बल्कि आज स्थिती और भी बदत्तर हो गयी है । सारी राजनीति वोटो की जोड़-तोड़ के इर्द-गिर्द घूम रही है। प्रादेशिकता अलगाववाद हद्तक बढ गया है और अंग्रेजी तथा अंग्रजियत दिन दूना रात चौगुना की गति से बढ़ रही है। राष्ट्र प्रान्तो की अस्मिता मे बँट रहा है और भाषाएँ जोडने के बजाए तोडने का कार्य कर रही है । ऐसी स्थिती मे संपुर्ण राष्ट्र को भावात्मक रुप मे जोडने वाली राष्ट्रभाषा हिन्दी दोगली, संकिर्ण, राजनीति का शिकार है । इसलिए ऐसा लगता है की शायद भाषा समस्या का हल भी सडको पर, कारखानो में, खेत खलिहानो में और स्कुलो - कॉलेजो में ही होगा। (२)

भारत एक गणराज्य है । यहाँ विविध भाषाएँ, विविध धर्म और विविध जातीयों का केंद्र है । भारत को राष्ट्रीय एकता की नितान्त आवश्यकता है। राष्ट्रीयता के अभाव मे अखण्डता का सुरक्षित रह पाना एक कठीण समस्या है । राष्ट्रीय आस्था से राष्ट्र का सर्वतोमुखी विकास संभव है। इसी से राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्मादों को रोका जा सकता है । राष्ट्रीय एकता के साधन - एक राष्ट्रभाषा हो। सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों मे विभिन्न धर्म वालो का पारस्परिक सहयोग लेना अपेक्षित है । जाती प्रथा का सर्वथा उन्मुलन हो अंतरर्जातीय एवं अंतर प्रादेशिक विवाह हो।

अंतर प्रादेशिक गोष्टीयाँ, संम्मेलनो का अधिक से अधिक आयोजन हो । अंतर प्रांतिय सांस्कृतिक समारोह देश के एक कोने से दुसरे कोने तक आयोजित किये जाये । वर्ग एवं भाषा भेद की भावना को समाप्त किया जाये । पृथक्तावादी आन्दोलनों के प्रति कठोर कदम उठाना आवश्यक है । आतंकवाद का सामूहिक रुपसे प्रतिरोध किया जाय । नैतिक निष्ठाओं को बल देने के लिए प्रेरित किया जाय ।

भाई भतीजावाद से पनपी असन्तोष की वृत्ति का समाधान किया जाय । राष्ट्रीय शिक्षा का एक स्वरुप हो । राष्ट्रीय आस्था ही हमारी स्वतंत्रता है।

इसके लिए प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति को अपने निहित स्वार्थो का परित्याग करना होगा । यदि राष्ट्रीय आस्था का विसर्जन होता गया तो हम पुन: दासता के मार्ग की ओर धकेल दिये जायेंगे । हमारे राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों, धर्मोपदेशकों एवं कलाकारों का दायित्व है की वे जागरुक रहकर इस दिशा की ओर प्रेरित करते रहे । राष्ट्रीय आस्था ही स्वराज्य की सुरक्षा है। (३)

संदर्भ सूची :-

१. हिन्दी व्याकरण एवंम् निबन्ध - आचार्य भारती (पेज ९९)
२. हिन्दी भाषा तथा साहित्यशास्त्र - डॉ. माधव सोनटक्के (पेज ५९,६०)
३. हिन्दी व्याकरण एवंम् निबन्ध - आचार्य भारती (पे १४४)